न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1484–तीन/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–2–01 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 292/अपील/2001–02.

बलभद्र प्रसाद तनय छकौड़ी प्रसाद ब्रा.
साकिन राजापुर तहसील नागौद
जिला सतना म.प्र.

——— आवेदक

विरूद्ध

1– केदार प्रसाद तनय अवधशरण
निवासी ग्राम राजापुर तहसील नागौद
जिला सतना म.प्र.
2– देवनारायण तनय अवधशरण
3– छकौड़ी प्रसाद तनय अवधशरण
सभी निवासी ग्राम राजापुर तहसील नागौद
जिला सतना म.प्र

——— अनावेदकगण

श्री कुंवर सिंह कुशवाह, अभिवक्ता, आवेदक ।
श्री एस. एल. धाकड़ अभिवक्ता अनावेदक ।

:: आदेश ::

( आज दिनांक 07-07-2014 को पारित )

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 292/अपील/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 5–2–2001 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायगा ) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्र. 1 केदार प्रसाद ने विचारण न्यायालय में बटवारा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जहां पर आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई तथा बताया गया कि पार्वती के के हिस्से की आराजी की वसीयत की गई है जिसमें वह 1/4 हिस्सा में काबिज दाखिल है । विचारण पश्चात तहसीलदार ने बटवारा नामांतरण आदेश पारित किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक एवं अनावेदक ने

अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जिसमें उन्होंने दिनांक 5–2–01 का आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण प्रत्यावर्तित किया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का निवेदन किया गया है ।

4– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया तथा आलोच्य आदेशों का परिशीलन किया । यह प्रकरण बटवारे का है जिसमें आवेदक ने वसीयत के आधार पर आपत्ति की गई कि उस विवादित आराजी मसात पार्वती द्वारा वसीयत की गई है । तहसीलदार द्वारा उभयपक्षों को सुनने के उपरांत बटवारा आदेश पारित किया । इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया । इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश पारित किया है । अपर आयुक्त ने यह पाया है कि आवेदक द्वारा आपत्ति किए जाने पर विचारण न्यायालय ने स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न होने से कार्यवाही स्थगित की गई किंतु उभयपक्षों ने कोई भी वाद सिविल न्यायालय में स्वत्व के निराकरण के लिए पेश नहीं किया है । उन्होंने यह भी पाया है कि फर्द पुल्ली पर कोई काटपीट नहीं है और जिनके मध्य बटवारे की कार्यवाही की गई उनमें से किसी ने अपील नहीं की है और इस कारण उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश को निरस्त करते हुए अपील को स्वीकार किया गया है । अपर आयुक्त के आदेश प्रकरण की परिस्थिति एवं वैधानिक स्थिति को देखते हुए उचित और न्यायपूर्ण है और उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

( एम. के. सिंह )
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर